तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/6617/2002/जयपुर रघुनाथ बनाम सुआ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-06-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति :-** श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा दिनांक 15-11-2007 को पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी/वर्तमान निगराकार के पिता छीतर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दूदू के न्यायालय में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरुद्ध प्रतिवादी-गैर निगराकार संख्या 1 व 2, ग्राम महेसपुरा, तहसील दूदू स्थित आराजी कुल किता 38 कुल रकबा 77 बीघ्स्रा 16 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा मय प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया। दिनांक 5-6-1996 को विचारण न्यायालय ने वादी का वाद अदम हाजिरी में खारिज किया, जिसमें प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वाद अदम हाजिरी में खारिज हो गया है किन्तु उनके प्रतिवाद को तय किया जाये। यह आवेदन दिनांक 7-8-1996 को खारिज किया जिसके विरुद्ध माननीय मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करने पर दिनांक 16-8-1999 को मण्डल ने निगरानी को तय कर प्रतिवाद को तय करने हेतु प्रकरण को प्रति प्रेषित किया। प्रतिवादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया कि पक्षकारान के मय राजीनामा हो जाने से मुताबिक राजीनामा वाद को तय किया जाये। वादी ने इस आवेदन का विरोध किया और	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी / टिए / 6617 / 2002 / जयपुर रघुनाथ बनाम सुआ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजीनामा प्रस्तुत नहीं करना बताया और अपना जबाब दिनांक 27-4-1989 को प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने इस बिन्दु पर प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु दिनांक 18-5-1989 पेशी तय की। वादी-प्रार्थी द्वारा दिनांक 30-5-2000 को प्रतिवाद का जबाब प्रस्तुत किया और दिनांक 12-7-2000 को प्रतिवादी ने आवेदन किया कि प्रतिवाद को, मुताबिक राजीनामा दिनांक 21-11-1987 तय किया जाये। परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 13-3-2002 को प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता को अस्वीकार किया और अभिमत पारित किया कि सम्पूर्ण प्रतिवाद को राजीनामा के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी की ओर से इस आदेश को रिव्यू करने हेतु आवेदन दिनांक 14-8-2002 को प्रस्तुत किया, जिसे परीक्षण न्यायालय ने आदेश दिनांक 15-11-2002 से अविधिक रुप से स्वीकार किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिव्यू के प्रावधानों के विपरीत जाते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है। प्रथम दृष्ट्या निर्णय में त्रुटि होने पर ही रिव्यू आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है, रैस्जुडिकेटा की आपत्ति का नया बिन्दु रिव्यू में नहीं लिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को माननीय मण्डल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में ही प्रतिवाद को तय करना था, अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रुप से विधिक प्रावधानों के विपरीत है। निगरानी स्वीकार की जाये और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानीधीन निर्णय को निरस्त किया जाए। अप्रार्थी की ओर से योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी-गैर निगरकार द्वारा पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 8, सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया था उसमें दिनांक 18-5-189 को आदेश दिया गया था जिसके अनुसार प्रकरण को इस बिन्दु के तय करने हेतु रखा गया कि क्या वास्तव में राजीनामा हुआ है, इस प्रकार प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया गया। निर्णय दिनांक 13-3-2002 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/6617/2002/जयपुर रघुनाथ बनाम सुआ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नियम 2, सी0पी0सी0 को खारिज कर दिया गया है। जब पूर्व में ही यह प्रार्थना पत्र निर्णित किया जा चुका है तो फिर खारिज किए जाने का कोई औचित्य ही नहीं रहता है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये इस आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि छीतर बनाम सुआ वाद उपखण्ड अधिकारी, दूदू के न्यायालय में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा मय प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया। दिनांक 5–6–1996 को वादी का वाद अदम हाजिरी में खारिज होने पर प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वाद अदम हाजिरी में खारिज हो गया है किन्तु उनके प्रतिवाद को तय किया जाये। यह आवेदन दिनांक 7–8–1996 को परीक्षण न्यायालय ने खारिज किया जिसके विरुद्ध माननीय मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करने पर दिनांक 16–8–1999 को मण्डल ने प्रतिवाद को तय करने हेतु प्रकरण को प्रति प्रेषित किया। प्रतिवादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से मुताबिक राजीनामा वाद को तय किया जाये। वादी ने इस आवेदन का विरोध किया और राजीनामा प्रस्तुत नहीं करना बताया और अपना जबाब दिनांक 27–4–1989 को प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 18–5–1989 को निर्णय किया जिसमें प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता को आंशिक स्वीकार किया और इस बिन्दु पर प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु दिनांक 15–6–1989 पेशी तय की। वादी–प्रार्थी द्वारा दिनांक 30–5–2000	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी / टिए / 6617 / 2002 / जयपुर रघुनाथ बनाम सुआ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को प्रतिवाद का जबाब प्रस्तुत किया और दिनांक 12-7-2000 को प्रतिवादी ने आवेदन किया कि प्रतिवाद को, मुताबिक राजीनामा दिनांक 21-11-1987 तय किया जाये। परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 13-3-2002 को प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता को अस्वीकार किया और अभिमत पारित किया कि सम्पूर्ण प्रतिवाद को राजीनामा के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी की ओर से इस आदेश को रिव्यू करने हेतु आवेदन दिनांक 14-8-2002 को प्रस्तुत किया है। प्रकरण के परीक्षण में सुस्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता को जब पूर्व में आदेश दिनांक 18-5-1989 के द्वारा तय किया गया है तो फिर नए सिरे से आदेश दिनांक 13-3-2002 कैसे पारित किया गया है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए रिव्यू आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है। निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुए इस आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं, फलतः निगरानी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है। परीक्षण न्यायलाय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण वर्ष 1987 से लंबित है, अतः प्रकरण में प्राथमिकता पूर्व दिन प्रति दिन की पेशी देते हुए शीघ्रातिशीघ्र गुणावगुण पर नियमानुकूल निर्णय पारित करें। उभय पक्ष दिनांक 29-06-2018 को उपखण्ड अधिकारी, दूदू के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	